सामान्य

१. यह निर्देश क्रिम.मिस.(PIL) १७६७/२०११ मो० कासिम बनाम राज्य सरकार व अन्य के सन्दर्भ में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में निर्गत किये गये है।

२. यह निर्देश विवेचना में पारदर्शिता, व्यवसायिक दक्षता एवं वैज्ञानिक विधियों को अपना कर विवेचना में गुणात्मक सुधार लाने हेतु निर्गत किये गये है।

३. विवेचना प्रारूप प्रोटोकाल के साथ ही साथ घटनास्थल प्रबधन प्रोटोकाल का भी का प्रयोग किया जाय।

४. सभी जनपदीय पुलिस प्रभारी अपने-अपने जनपद में कार्यशाला आयोजित कर निर्देशों को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत करा दें और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

गोपनीय

विवेचना योजना प्रारूप-हत्या

१. घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुँचना। घटना की सूचना डाग स्कवाड, तथा फील्ड यूनिट को देकर घटनास्थल पर पहुँचने का निर्देश देना यदि विस्फोटक पदार्थ से सम्बन्धित है तो बम निरोधक दस्ता को घटनास्थल पर पहुँचने का निर्देश देना।

२. घटनास्थल को सीमांकित कराना ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश कर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सके।

३. मौके पर विभिन्न कोण से शव का फोटोग्राफ कराया जाना । अंगुष्ठ छाप एवं फुटप्रिन्ट का लिया जाना एव घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराना।

४. घटनास्थल का भौतिक साक्ष्यों के लिए व्यापक निरीक्षण सुनिश्चित करना। खोखा कारतूस, खूनालूद, मानव श्राव, नाखून, बाल आदि भौतिक साक्ष्य पुलिस अभिरक्षा में लेकर सर्वमोहर करना एवं दो गवाहों के समक्ष फर्द तैयार करना। शव का पंचायतनामा कार्यवाही पॉच गवाहों के समक्ष कराना एवं शव के शरीर पर आयी चोटों का बारीकी से निरीक्षण करके अंकित करना। शव के वस्त्रों पर अस्त्र-शस्त्र आदि के निशान हो तो उसका उल्लेख करना। पंचायतनामा से सम्बन्धित अभिलेख चालान नाश/फोटोनाश/रिपोर्ट सी०एम०ओ० पोस्टमार्टम हेतु एव शव पर मौजूद सम्पत्ति को कब्जे में लेने हेतु रिपोर्ट आर०आई० फार्म नम्बर-३३ हेतु नमूना लाश तैयार करके शव को सर्वमोहर करके आरक्षीगण की सुपुर्दगी में देकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाना।

५. मिट्टी खून आलूदा, मिट्टी सादा, आलाकत्ल घटनास्थल से लिए गये भौतिक साक्ष्य आदि को परीक्षण हेतु न्यायालय से डॉकिट बनवाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना।

६. वादी एवं उसके साथ में आये व्यक्तियों के बयान लेना यदि कोई घायल हालत में आया हो तो डाक्टरी हेतु भेजा जाना। घायल मरणासन्न हालत में मृत्युपूर्व बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया जाना चाहिए । मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो डाक्टर से बयान लेखबद्ध कराना चाहिए।

७. प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमी मुकदमा जी०डी० नकल करके लेखक चिक व रपट का बयान लेना।

८. पंचायतनामा की नकल करके पंचायतनामा के गवाहों, फर्द के गवाहों तथा घटनास्थल के आस-पास के व्यक्तियों/निवासियों के बयान लेना।

९. घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण, यदि तहरीर लेखक वादी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है तो उसके बयान लेना।

१०. घटना का उद्देश्य एवं आशय से सम्बन्धित साक्ष्य एकत्र करना।

११. अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बयान लेना तथा आलाकत्ल की बरामदगी करना। यदि अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है तो न्यायालय की अनुमति लेकर कारागार में अभियुक्त का बयान लेना तथा आवश्यकतानुसार आलाकत्ल की बरामदगी हेतु पुलिस कस्टडी रिमाण्ड हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना। पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत होने के बाद अभियुक्त को कारागार से पुलिस अभिरक्षा में लेना एवं चिकित्सीय परीक्षण कराना तथा आवश्यकतानुसार धारा २७ साक्ष्य अधि० में वर्णित प्राविधानों के अनुसार आलाकत्ल की बरामदगी करके फर्द तैयार करना। एवं के गवाहों के बयान लेना तथा बरामदगी स्थल का नक्शानजरी तैयार करना। कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्सीय परीक्षण करवाकर अभियुक्त को कारागार में दाखिल करना।

१२. यदि बिसरा सुरक्षित किया गया है तो परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना।
१३. यदि आलाकत्ल बन्दूक/तमन्चा(शस्त्र) है तो बरामद खोखा कारतूस एवं शस्त्र को परीक्षण हेतु बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास भेजा जाना।
१४. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विवरण अंकित करना एवं पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर तथा शव ले जाने वाले पुलिस कर्मियों के बयान लेना।
१५. यदि अभियुक्तगण द्वारा लाइसेन्सी शस्त्र का प्रयोग किया गया है तो पूर्व साक्ष्य एकत्रित करके धारा २५/२७/३० शस्त्र अधि० के अन्तर्गत कार्यवाही करना।
१६. यदि अभियुक्तगण लगातार दविसों के बावजूद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है तथा अपनी चल सम्पत्ति को हटवा रहे है तो न्यायालय से बिना जमानती वारण्ट एवं ८२, ८३ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रपत्र लेकर तामील की जाय।
१७. विवेचना से प्राप्त भौतिक, अभिलेखीय एव मौखिक साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित के विरूद्ध आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किया जाना।

<u>यदि शव अज्ञात व्यक्ति का है-</u>

१. मृतक व्यक्ति का फोटो एवं हुलिया तथा वस्त्रों आदि को अंकित करके घटनाक्रम का उल्लेख करके पम्पलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सिनेमाहाल आदि पर चिपकाना तथा पम्पलेट एवं कृत कार्यवाही का विवरण अंकित करना।
२. मृतक व्यक्ति का फोटो, हुलिया, वस्त्रादि का विवरण उल्लखित करते हुए घटनाक्रम का उल्लेख करके गस्ती हेतु डी०सी०आर०बी०/एस०सी०आर०बी० को आख्या भेजना एवं प्रति संलग्न करना।
३. फोटो हुलिया आदि का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना, एक प्रति संलग्न करना।
४. फोटो हुलिया आदि का विवरण सिनेमा हाल में स्लाइड द्वारा प्रदर्शित कराना एवं कृत कार्यवाही का विवरण अंकित करना।
५. दूरदर्शन एवं रेडियो द्वारा सूचना प्रचारित कराना एवं कृत कार्यवाही का विवरण अंकित कराना।
६. जनपद एवं सीमावर्ती वाह्य जनपदों की डी०सी०आर०बी० शाखा की गुमशुदगी एवं अपहृत व्यक्तियों की जानकारी करना तथा मृतक की हुलिया एवं फोटो से मिलान करके पता लगाने का प्रयास करना।
७. डी०एन०ए०, छाप अंगुष्ठ को फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो/एफ०एस०एल० मृतक का नाम पता ज्ञात करने के आशय से भेजा जाना एवं रिपोर्ट प्राप्त करना।
८. परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्रित करना।
९. मृतक की मृत्यु से किस व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ हो रहा था, संदेही मान कर पृच्छा करना।
१०. हत्या का उद्देश्य एवं आशय ज्ञात कराना कि पृष्ठभूमि स्त्री सम्पत्ति अथवा भूमि का कारण तो नहीं है।
११. विसरा परीक्षण, वैलिस्टिक एक्सपर्ट परीक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करके विवरण अंकित करना एवं परीक्षण रिपोर्ट के आधार मानकर राय बनाना।

गोपनीय

विवेचना योजना प्रारूप-बलात्कार

मु०अ०सं०　　धारा　　थाना　　जनपद

दिनांक सूचना-　　समय

दिनांक घटना-　　समय

घटना स्थल

नाम पता वादी-

नाम पता प्रतिवादीगण-

१. नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट

२. नकल रपट कायमी मुकदमा

३. बयान लेखन चिक व रपट

४. बयान वादी

५. बयान पीड़ित महिला एवं अधोवस्त्र अभिरक्षा में लेकर फर्द तैयार करना।

६. महिला आरक्षी के साथ पीड़ित महिला को घटना क्रम में संघर्ष के दौरान आयी चोटों का मेडिकोलीगल परीक्षण बिना किसी विलम्ब के कराया जाना। कोहनी एवं कलाई एक्स-रे, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर से आयु निर्धारण किया जाना । स्परमैटोजोआ की उपस्थिति हेतु बैजाइनल स्मिअर स्लाइड तैयार करवाकर भिजवाना।

७. निरीक्षण घटना स्थल करके नक्शा नजरी बनाना।

(१) घटना स्थल की फोटो ग्राफी कराया जाना।

(२) घटना स्थल से चूड़ियों के टुकड़े, बाल, नाखून अन्य कोई स्राव, अभियुक्तगण द्वारा छोड़ी गयी कोई भी संदिग्ध वस्तु जैसे-सिगरेट के टुकड़े, ग्लास, कागजात आदि एवं पीड़ित महिला की कोई वस्तु को पुलिस अभिरक्षा में लेकर फर्द तैयार करना।

(३) घटनास्थल से फुट प्रिन्ट तथा फिंगर प्रिन्ट का लिया जाना।

(४) घटना स्थल का निरीक्षण पीड़ित महिला अथवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के निशानदेही पर किया जाना।

(५) घटना स्थल से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया बाल, मानव स्राव, फुट प्रिन्ट व फिंगर प्रिन्ट, खून आदि परीक्षण कराने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना।

(६) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गण के बयान।

(७) समई साक्षी गण के बयान।

(८) मेडिकोलीगल इन्जरी रिपोर्ट एक्स-रे रिपोर्ट सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट स्लाइड परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करना।

(९) पीड़ित महिला का धारा १६४ द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया जाये एवं इसी बयान को आधार मानकर विवेचना का निस्तारण किया जाये। बयान अभिलिखित होने के पश्चात विवेचक द्वारा बयान अवलोकन हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके अवलोकन करना एवं संक्षिप्त विवरण अंकित करना।

(१०) एक्से-रे रिपोर्ट/स्कूल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर से निर्धारित आयु के अनुसार न्यायालय /सी०डब्ल्यू०सी० द्वारा पीड़ित महिला की सुपुर्दगी विषयक आदेश कराना एवं आदेश के पालन में वॉछित कार्यवाही करना।

(११) चिकित्साधिकारी के बयान।

(१२) अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बयान ।

(१३) अभियुक्त का अधोवस्त्र अभिरक्षा में लेकर फर्द तैयार करना एवं सीआरपीसी धारा ५३ए के अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षण करायें।

(१४) अभियुक्त के अधोवस्त्र, स्राव का मिलान घटनास्थल पर प्राप्त नमूनों से कराये जाने की कार्यवाई किया जाना।

गोपनीय

विवेचना योजना प्रारूप-डकैती/लूट

मु०अ०सं०.....धारा .....थाना.....थाना .....जनपद
दिनांक घटना .....समय
दिनांक सूचना .....समय
घटनास्थल .....
नाम पता वादी .....

१. प्रथम सूचना एवं जी०डी० कायमी मु० की नकल

२. लेखक चिक/रपट का बयान

४. थाने पर आया व्यक्ति यदि घायल अवस्था में है मजरूबी चिट्ठी बनवाकर मेडिकोलीगल परीक्षण हेतु भेजना।

५. घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारीगण को बताते हुये फील्ड यूनिट एवं स्ववाड को सूचित करके घटनास्थल पर पहुॅचने का निर्देश देना।

६. घटनास्थल को सुरक्षित कराया जाना एवं बारीकी से निरीक्षण करके डाग स्ववाड द्वारा अभियुक्तगण के बारे में पता लगाना तथा फुट प्रिन्ट/फिंगर प्रिन्ट, अन्य कोई भौतिक साक्ष्य फील्ड युनिट द्वारा उठाया जाना, फोटोग्राफी कराना। घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाना। यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई वस्तु छोड़ी गयी है तो उसके कब्जे में लेकर फर्द तैयाद करना। बक्शा, ताले आदि तोड़े गये हो तो कब्जे में लेकर फर्द बनाना, फर्द के गवाहों के बयान लेना। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लूटी गयी सम्पत्ति का उल्लेख नहीं है तो वादी अथवा पीड़िता व्यक्ति से सामान की सूची लेना, सामान की हुलिया अंकित करना।

७. वादी एवं उसके हमराही के बयान एवं डकैती लुटेरों की हुलिया, बोली, भाषा, पहनावा, अस्त्र, शस्त्र आदि के बारे में पूछताछ करके बयान में अभिलिखित करना, रात्रि की घटना होने पर प्रकाश के बारे में पूछा जाये कि अभियुक्तगण को किसके प्रकाश में देखा गया है। अभियुक्तगण द्वारा घटना में वाहन का प्रयोग किया गया हो तो सम्बन्धित थाने कन्ट्रोल रूम द्वारा बरामद करने की सूचना देना, वाहन नम्बर ज्ञात है तो आर०टी०ओ० कार्यालय से वाहन स्वामी का पता लगवाना एवं वाहन स्वामी का बयान लेना।

८. घटनास्थल पर रहने वाले एवं पड़ोसियों के बयान लेना, घटनास्थल वाले गांव अथवा मुहल्लों में रहने वाले शस्त्र लाइसेंसियों के बयान लेना, ग्राम प्रधान एवं चौकीदार से पूछताछ करना।

९. फिंगर प्रिन्ट/फुट प्रिंट को मिलान हेतु फिंगर प्रिन्ट ब्यूरों भेजा जाना।

१०. घटना के अनावरण के लिए पूर्व के अभिलेख का उपयोग करनाः-

ए. पेशेवर अपराधियों के फोटो एलबम, सी०आर०-४ में उपलब्ध पेशेवर अपराधियों की जानकारी साक्षियों को देकर अभियुक्तों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।

बी. क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर एवं पुराने अपराधियों से पूछताछ करना।

सी. विगत पॉच वर्षो में जनपद एवं सीमावर्ती जनपद के थानों में घटित डकैती/लूट के अपराधों में प्रकाश में आये अपराधियों से पूछताछ करना।

डी. अपराध करने का तरीका (मोडस अपरेन्डायी) ज्ञात करके इसी तरह के अपराध के प्रकाश में आये अपराधियों से पूछताछ करना।

इ. सदिग्ध अपराधियों के घर की खाना तलाशी, बउम्मीद बरामदगी माल समक्ष गवाहान लेना, फर्द बनाना। खाना तलाशी के समय घर के बालिग सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है।

११. इलेक्ट्रानिक सर्विलांस का उपयोग सुनिश्चित करना।

१२. माल की बरामदगी पर फर्द में अंकित करना एवं बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार करना, बरामदगी करने वाले साक्षीगण के बयान लेना, माल की शिनाख्त कराना हो तो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित करके निश्चित अवधि में कार्यवाही शिनाख्त कराना ।

१३. अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं न्यायालय में हाजिर होने पर वापर्दा करना तथा कार्यवाई शिनाख्त कराना ।

१४. बरामद किये गये माल को नियमानुसार सम्पत्ति के स्वामी को वापस दिये जाने हेतु न्यायालय का आदेश प्राप्त किया जाना ।

१५. विवेचना के दौरान एकत्र किये गये भौतिक, अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर सम्बन्धित के विरूद्ध आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय प्रेषित किया जाना।

गोपनीय

विवेचना योजना प्रारूप-सामान्य

१.घटनास्थल का अनुरक्षण, डाग स्क्वाड, फील्ड यूनिट का प्रयोग एवं मानचित्र

घटनास्थल पर तत्काल पहुॅच कर घटनास्थल का सीमांकन कर लिया जाय जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट न हो सकें। घटना की सूचना फील्ड यूनिट, डाग स्क्वाड को दी जाय जिससे आवश्यक साक्ष्य एकत्र किये जा सके। घटनास्थल का नक्शा ध्यानपूर्वक बनाया जाये तथा उसमें महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दर्शाया जाये जिससे वस्तुस्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो सके। घटनास्थल की व्यापक फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी सुनिश्चित करायी जाय।

२.मौखिक साक्ष्यः-

विवेचना योजना में यह उल्लेख किया जाये कि प्रश्नगत अपराध के सन्दर्भ में किन साक्षियों, अभियुक्तों व संदिग्ध का कथन, किन-किन बिन्दुओं पर लिया जाना है तथा प्रत्येक व्यक्ति से क्या-क्या पूछना है।

३.अभिलेखीय साक्ष्यः-

अभिलेखीय साक्ष्य के सम्बन्ध में यह निश्चय कर लिया जाना चाहिये कि किस-किस बिन्दु पर उनकी सन्निरिक्षा की जानी है।

४.भौतिक(फायर मार्क, कारतूस, खोखे, फिंगर प्रिन्ट, खून के धब्बे, नाखून, बाल, स्राव आदि)साक्ष्यः-

घटनास्थल का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण कर निर्धारण कर लिया जाना चाहिये कि घटनास्थल पर क्या-क्या मैटीरियल साक्ष्य उपलब्ध है और उनमें से किन-किन बिन्दुओं पर वैज्ञानिक अभिमत, परीक्षण और विश्लेषण कराया जाना है, जिससे कि अपराध के सफल अनावरण एवं सफल अभियोजन में अकाट्य साक्ष्य मिल सके। विवेचना हेतु योजना बनाते समय यह भी निर्धारित कर लिया जाये कि किन-किन बिन्दुओं पर विशेषज्ञो(चिकित्सा विशेषज्ञ, अगुष्ठ छाप विशेषज्ञ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला विशेषज्ञ एवं रसायन विशेषज्ञ इत्यादि)का अभिमत प्राप्त किया जाना चाहिये और किन पदार्थो को विशेषज्ञ के यहां परीक्षण हेतु भेजा जाना आवश्यक है।

ऐसे अपराध जो विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में नहीं आते, उनकी विवेचना की योजना दो प्रतियों में तैयार की जाये। इसकी एक प्रति विवेचना अधिकारी अपने पास रखेगे और दूसरी प्रति ४८ घंटे के अन्दर विवेचना अधिकारी के द्वारा थानाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्राधिकरी/पर्यवेक्षक को भेजी जायेगी।

अपराध जो विशेष अपराध आख्या की श्रेणी में आते हैं उनमें विवेचना की योजना तीन प्रतियों में बनायी जाये। जिसकी एक प्रति विवेचना अधिकारी अपने पास रखें तथा दो प्रतियां थाना प्रभारी के माध्यम से पर्यवेक्षण अधिकारी/क्षेत्राधिकारी के पास भेजेगें। क्षेत्राधिकारी इस रूपरेखा की एक प्रति सम्बन्धित अभियोग की विशेष आख्या पत्रावली पर स्थायी रूप से रखेंगें और दूसरी प्रति पर्यवेक्षण आख्या के साथ अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी। पुलिस अधीक्षक इस पर अपने दिशा निर्देश लिखित रूप से अपर पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष को विवेचनाधिकारी स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अनुपालन हेतु भेजेगें।

किसी अपराध के विषय में विवेचनाधिकारी से विवेचना योजना प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी इस पर अपनी सहमति, सुझाव एवं मार्ग दर्शन भी देंगें। समय-समय पर विवेचना की प्रगति की समीक्षा करते हुये पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चत करेगें

कि विवेचना योजना के अनुसार शीघ्र पूर्ण कर ली जाये तथा यदि कहीं आवश्यकता हो तो ''विवेचना योजना'' में कुछ बिन्दु विवेचना के दौरान घटाये बढ़ाये जा सकते हैं।

गोपनीय

विवेचना योजना प्रारूप-अपहरण

(अ) धारा ३६४/३६४ए भा०द०वि०

१. इस प्रकार के अपराध की सूचना भले ही गुमसुदगी के रूप में अंकित करायी गयी हो परन्तु उसको अपहरण धारा ३६४/३६४ए भा०द०वि० के अपराध घटित होने की घटनाके प्रारम्भ से ही अपराध स्वरूप मानकर अपहृत की खोज के लिये सतत प्रयास करने प्रारम्भ कर दिये जाये।

२. इस प्रकार की घटनाओं में तत्काल सरहदी थानों व जनपदों में नाके बन्दी की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

३. यदि इस प्रकार की घटना अपहृत के वाहन तथा अपहरण कर्ताओं के वाहन के द्वारा होने की सूचना हो तो इस प्रकार के वाहनों का नं० एवं रंग के वाहन चेकिंग के लिये हर मुख्य-मुख्य स्थानों पर कराये जाने की व्यवस्था की जाये।

४. यदि सम्बद्ध टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध हो तो संबंधित एक्सचेंज एवं उससे सम्बद्ध फोन पर सादा लिवास में तेज तर्रार अधिकारी/कर्मचारीगण को शीघ्र से शीघ्र नियुक्त किया जाये तथ आने वाले टेलीफोन पर नजर रखी जाये।

५. अपहृत से संबंधी फोन आबजरवेशन(क्लिप) पर तत्काल रखवा दिया जाये। ताकि अपहृत के संबंध में टेलीफोन से सूचनाये कहां से आ रही है और अपहृत को किस क्षेत्र में रखा गया है। अपहृतकर्ता के आने वाले फोन पर नजर रखी जाये।

६. संबंधित टेलीफोन आबजरवेशन(क्लिप) से अपहृत/अपहरण कर्ताओं की जिस क्षेत्र में उपस्थित का ज्ञान हो उस स्थान की सघन गोपनीय घेरा बंदी करायी जाये।

७. यदि इस प्रकार का क्षेत्र अन्य जनपद में ज्ञात हो वहां के उच्चाधिकारियों के सहयोग एवं विश्वास में लेकर सही स्थान व निश्चित स्थान का पता लगाने के लिये कारगर मुखबिर नियुक्त किये जाये एवं गहन पतारसी, सुराग रसी की जाये तथा अपहरण कर्ताओं पर प्रबल दबाओं के विशेष पुलिस दल नियुक्त किया जाये जिसके फलस्वरूप या तो अपहरणकर्ता गिरफ्तार किये जा सकें तथा अपहृत व्यक्ति की बरामदगी की पूर्ण सम्भावना हो जायेगी।

८. निश्चित स्थान की घेरा बन्दी निश्चित स्थान पर प्रबल पुलिस दबाव होने के फलस्वरूप अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहृत को मुक्ति भीमिलने की पूर्ण सम्भावना प्रबल हो जाती है।

९. यदि उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप अपहरणकर्ता गिरफ्तार ही हो जाते है और अपहृत बरामद या मुक्त हो जाता है तो उनसे तेज तर्रार एवं योग पुरूष अधिकारियों को लगाकर गहन पूँछ-तॉछ करायी जाये।

१०. गहन पूँछ-तॉछ एवं जानकारी के संबंध में पूँछ-तॉछ की आख्या बिन्दुवार तैयार की जाये और इस प्रकार की आख्या में प्रकाश में आये सभी तथ्यों पर तत्काल से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। ताकि अन्य संबंधित व्यक्ति बंदी बनाये जा सके।

११. यदि अपहरणकर्ताओं के बन्दी बनाये जाने के समय तक अपहृत मुक्त न हुआ तो बन्दी बनाये गये अपहरण कर्ताओं से पूँछ-ताँछ में अपहृत के संबंध में उसकी उपस्थिति के सम्भावित स्थानों पर तत्काल पुलिस दल भेजकर अपहृत के बरामद करने का प्रयास किया जाये।

१२. इस प्रकार की घटनाओं की विवेचना गहनता से संबंधित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिये।

१३. आवश्यकतानुसार एस०टी०एफ० की तत्परता के साथ मदद ली जानी चाहिये।

१४. प्रकाश में गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं का फोटो एलबम तैयार किया जाये।

१५. अपहृत के परिवारी जन को पूर्ण विश्वास में रखा जायें

१६. अपहरण के समय अपहृत के साथ गये सामान वाहन वस्तु अन्य पहने हुये आभूषण की बरामदगी आदि के सतत प्रयास कर बरामदगी सुनिश्चित की जाये। ताकि अपहरणकर्ताओं के विरूद्ध मैटेरियल साक्ष्य उपलब्ध हो सके जो अभियोग को सफल बनाने में विशेष लाभ दायक होगी। अपहृत के पारिवारिक जनों को पूर्ण विश्वास में लेकर उसके घर घटना के सम्बन्ध में आने वाले टेलीफोन संबाद को उनकी अनुमति से टेप किया जाये। जो अनावरण होने पर अपहरण कर्ता के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

१७. इस प्रकार के अपराधों के घटना स्थल के आस-पास के स्थानों/मुख्य-मुख्य स्थानों (पीसीओ होटल स्टैण्ड) की तत्काल देखभाल छानबीन गहनता से की जाये। जिससे अपहरणकर्ताओं के सम्बन्ध में सुराग मिलने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है और अपहृत की बरामदगी मुक्ति दिलाने का शीघ्र अवसर मिल सकता है।

१८. अपहृत की बरामदगी से पूर्व अपहृत की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये संदिग्ध व्यक्तियों/अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी एकान्त में करने का प्रयास किया जाये।

<u>(ब) धारा ३६३/३६६ भा०द०वि०</u>

१. अपराध पंजीकृत होते ही सर्वप्रथम अपहृत की तलाश के लिये प्रबल प्रयास किया जाना चाहिये। यदि सम्भव हो तो विवेचक के सहयोग में टीम गठित कर अपहृत को सर्वप्रथम बरामद कराने के हर सम्भव प्रयास किये जाये।

२. अपहृत की प्राप्ति के बाद डाक्टरी मुआयना कराया जाये तथा शीघ्र से शीघ्र कलम बन्द बयान के लिये संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये तथा न्यायालय के आदेशानुसार अपहृत को यथास्थान संबंधित व्यक्ति के सुपुर्द किया जाये।

३. इस प्रकार के अभियोग की विवेचना में तत्परता बरती जाये।

४. अपहरण के कारण का पता लगाया जाये।